

## राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

rajssaquality@gmail.com

Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ/2016-17 नं 35 दिनांक : २५।५।१७

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,  
समस्त जिले।

विषय – पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (PEEO) द्वारा पंचायत क्षेत्र में प्रा.शि. अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणीकरण के संबंध में।

संदर्भ – राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.15 (1)प्राशि/2017/जयपुर/11.04.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/संस्था प्रधानों के आहरण, वितरण अधिकारी व सेवा अभिलेख पंजिका के संधारण एवं अन्य सम्बन्धित संस्थापन कार्य का सम्पादन उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 8.7 के आधार पर सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (PEEO) के द्वारा किया जाना है। इस संबंध में वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे।

उक्त आदेशों के जारी होने तक पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (PEEO) द्वारा उपस्थिति प्रमाणीकरण के आधार पर पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के शिक्षकों/संस्था प्रधान का वेतन ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) द्वारा आहरित किया जावेगा।

शाला दर्शन पोर्टल पर पंचायत परिषेत्र के विद्यालयों में कार्यरत दर्शाए गए शिक्षकों/संस्था प्रधानों की पीईईओ द्वारा उपस्थिति प्रमाणित की जावेगी। उक्त निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने पर होने वाली आवश्यक कार्यवाही के लिए PEEO & BEEO स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डॉ. जोगा राम)  
आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/पीईईओ/2016-17 नं 36 दिनांक २५।५।१७

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।

3. निजी सचिव, राज्य परियोजना समन्वयक, रामाशिप, जयपुर।

4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।

6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।

7. उपनिदेशक, शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि इस पत्र को समस्त आदर्श विद्यालय के संस्था प्रधानों की ई-मेल आईडी पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।

9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा/एसएसए, समस्त जिले।

10. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

कार्यालय: जिला परियोजना समन्वयक सर्वशिक्षा शिक्षान सीडी  
समस्त BEEO/PEEO नं 64 दिनांक: 25.05.2017 (मुकुल सर्मा)  
अतिरिक्त आयुक्त  
को बुल ही भेजकर लेख लें कि उक्तानुसार कार्यवाही  
किया जाना सुनिश्चित हो।

अति. जिला परियोजना समन्वयक  
/ सर्व शिक्षा अभियान, रीकर